अध्याय-एक
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाए गए हैं:

तालिका – 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	• कर राजस्व	2,242.49	2,574.52	3,642.38	4,107.92	4,626.17
	• कर-भिन्न राजस्व	1,756.24	1,783.66	1,695.31	1,915.20	1,376.88
	योग	**3,998.73**	**4,358.18**	**5,337.69**	**6,023.12**	**6,003.05**
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	837.49	861.63	1,715.35	1,998.37	2,282.02[1]
	• सहायता अनुदान	4,471.77	5,126.55	5,657.57	6,521.37	7,313.07
	योग	**5,309.26**	**5,988.18**	**7,372.92**	**8,519.74**	**9,595.09**
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	**9,307.99**	**10,346.36**	**12,710.61**	**14,542.86**	**15,598.14**
4.	**1 से 3 की प्रतिशतता**	**43**	**42**	**42**	**41**	**38**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹6,003.05 करोड़) का 38 *प्रतिशत* था। वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 62 *प्रतिशत* भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का ब्यौरा **तालिका 1.2** में दिया गया है:

[1] विवरण के लिए कृपया वर्ष 2012-13 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का सविस्तृत विवरण देखें। कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य प्राप्ति शीर्ष-0020-निगम कर, 0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, 0032- सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038- संघीय आबकारी शुल्क, 0044-सेवा कर- 0045- पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क, 901-क-कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित राज्य को समनुदेशित निवल आगमों के अंश द्वारा जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए हैं।

तालिका 1.2

जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

							(₹ करोड़)
क्रमांक	**राजस्व शीर्ष**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12 की तुलना में 2012-13 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता**
1.	भू-राजस्व	20.28	14.54	4.78	17.86	23.60	32
2.	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस						
	स्टाम्प-न्यायिक	4.69	5.95	6.58	8.91	8.85	(-) 1
	स्टाम्प-गैर-न्यायिक	73.53	84.10	101.50	111.21	117.23	5
	पंजीकरण-फीस	20.11	23.34	24.61	34.97	46.53	33
3.	राज्य आबकारी	431.83	500.26	561.53	707.36	809.87	14
4.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,246.31	1,487.40	2,101.10	2,476.78	2,728.22	10
5.	वाहन कर	135.53	133.97	163.02	176.03	196.13	11
6.	माल व यात्री कर	62.39	88.74	93.46	94.36	101.39	7
7.	विद्युत पर कर व शुल्क	78.83	39.08	301.59	185.47	262.63	42
8.	अन्य	168.99	197.14	284.21	294.97	331.72	12
योग		**2,242.49**	**2,574.52**	**3,642.38**	**4,107.92**	**4,626.17**	**13**

सम्बंधित विभागों ने भिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

भू-राजस्व: सरकारी संम्पदायों के पट्टों से प्राप्तियों की अधिक जमा तथा विविध प्राप्तियों के कारण वृद्धि हुई थी।

स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस: हस्तांतरण, उपहार, कब्जा सहित रेहन आदि जैसे विभिन्न विलेखों के अधिक पंजीकरण के कारण वृद्धि हुई थी।

राज्य आबकारी: प्रति प्रूफ लीटर देशी तथा भारतीय निर्मित विदेशी शराब की लाइसेंस फीस तथा आबकारी शुल्क की दरों में बढौतरी के कारण वृद्धि हुई। यह वार्षिक न्यूनतम गारंटीड कोटा में वृद्धि तथा बार-लाइसेंसधारियों, क्लबों तथा सशस्त्र सेनाओं को की जाने वाली सप्लाई पर निर्धारित फीस में वृद्धि के कारण भी थी।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: अच्छे कर प्रशासन, सिगरेटों/ बीड़ियों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों पर कर में बढौतरी के कारण वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय/ नाका स्टाफ तथा द्रुतगामी दलों द्वारा बारंबार जांच/निरीक्षण करने के कारण भी वृद्धि हुई।

वाहन कर: वाहनों के अधिक पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने, अधिनियम को सख्ती से लागू करने तथा राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत फीस से अधिक आय के कारण वृद्धि हुई।

माल तथा यात्री कर: वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा विभाग द्वारा वसूली हेतु भरसक प्रयास करने के कारण वृद्धि हुई।

बिजली पर कर तथा शुल्क: विगत वर्षों के बिजली शुल्क की प्राप्ति के कारण वृद्धि हुई।

अन्य विभागों ने अनुरोध (सितम्बर 2013) करने के बावजूद विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विभिन्नता के कारण प्रस्तुत नहीं किए (नवम्बर 2013)।

1.1.2 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3

जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा

(₹ करोड़)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1.	विद्युत	1,255.43	1,214.80	1,093.21	1,145.70	637.15	(-) 44
2.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	76.57	85.09	113.84	120.12	147.90	23
3.	ब्याज प्राप्तियां	77.97	76.93	69.95	115.09	69.90	(-) 39
4.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	55.40	72.11	65.44	106.54	63.90	(-) 40
5.	लोक निर्माण कार्य	22.59	30.81	34.66	41.63	39.72	(-) 5
6.	विविध सामान्य सेवाएं	5.25	1.05	2.06	40.01	8.94	(-) 78
7.	अन्य प्रशासकीय सेवाएं	14.07	17.28	31.00	26.23	45.71	74
8.	पुलिस	15.05	11.57	19.10	15.39	20.63	34
9.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8.19	5.81	8.40	8.66	11.21	29
10.	सहकारिता	2.80	3.35	9.59	2.30	3.24	41
11.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.17	0.14	6.84	0.36	0.33	(-) 8
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	222.75	264.72	241.22	293.17	328.25[2]	12
योग		**1,756.24**	**1,783.66**	**1,695.31**	**1,915.20**	**1,376.88**	**(-) 28**

सम्बंधित विभागों ने विभिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

वानिकी तथा वन्य प्राणी: प्रतिपूरक वनरोपण के संदर्भ में अन्य विभागों से कम प्राप्तियों के अतिरिक्त इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम तथा अन्य उपभोक्ताओं/संगठनों से कम अदायगी के कारण कमी आई।

पुलिस: भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड, रेलवे प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा पुलिस गार्डों की सप्लाई करने हेतु बकायों की अदायगी करने तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी करने के कारण वृद्धि हुई।

सहकारिता: बिलासपुर तथा हमीरपुर में दो एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली से अनुदानों की अग्रिम में प्राप्ति के कारण वृद्धि हुई।

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई: लाभग्राहियों से कम प्राप्तियों के कारण कमी आई।

अन्य विभागों ने अनुरोध (सितम्बर 2013) करने के बावजूद विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विभिन्नता के कारण प्रस्तुत नहीं किए (नवम्बर 2013)।

[2] मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जलापूर्ति तथा स्वच्छता, परिवार कल्याण एवं आवासीय विभागों से प्राप्तियां समाविष्ट हैं।

1.2 बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं

कर तथा कर-भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के बजट आकलनों व वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं **तालिका 1.4** में दी गई हैं:

तालिका 1.4

बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	विभिनताएं आधिक्य (+) अथवा (-) कमी	विभिन्नता की प्रतिशतता
1.	भू-राजस्व	4.01	23.60	19.59	488.53
2.	स्टाम्प व पंजीकरण फीस	159.05	172.61	13.56	8.53
3.	राज्य आबकारी	800.14	809.87	9.73	1.22
4.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,161.57	2,728.22	(-) 433.35	(-) 13.71
5.	वाहन कर	215.39	196.13	(-) 19.26	(-) 8.94
6.	माल व यात्री कर	118.19	101.39	(-) 16.80	(-) 14.21
7.	विद्युत कर तथा शुल्क	217.03	262.63	45.60	21.01
8.	पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	382.04	331.72	(-) 50.32	(-) 13.17
9.	ब्याज प्राप्तियां	125.56	69.90	(-) 55.66	(-) 44.33
10.	पुलिस	21.03	20.63	(-) 0.40	(-) 1.90
11.	लेखन सामग्री व मुद्रण	7.27	6.16	(-) 1.11	(-) 15.27
12.	लोक निर्माण कार्य	38.89	39.72	0.83	2.13
13.	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	113.33	112.11	(-) 1.22	(-) 1.08
14.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	7.13	11.21	4.08	57.22
15.	जलापूर्ति व स्वच्छता	30.15	34.15	4.00	13.27
16.	आवास	3.31	3.67	0.36	10.88
17.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.05	5.76	0.71	14.06
18.	कृषिकर्म (बागवानी सहित)	12.21	6.68	(-) 5.53	(-) 45.29
19.	पशुपालन	0.58	0.83	0.25	43.10
20.	मत्स्य पालन	1.44	1.94	0.50	34.72
21.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	75.31	63.90	(-) 11.41	(-) 15.15
22.	विद्युत	1,243.00	637.15	(-) 605.85	(-) 48.74
23.	उद्योग	5.90	6.17	0.27	4.58
24.	अलौह, खनन तथा धातुकर्म उद्योग	137.94	147.90	9.96	7.22

सम्बन्धित विभागों ने विभिन्नताओं के निम्नांकित कारण बताये:

राज्य आबकारी: वार्षिक न्यूनतम गारंटीड कोटा में वृद्धि तथा आर0 लाइसेंसधारियों, क्लबों तथा सशस्त्र सेनाओं को सप्लाई करने पर नियत फीस में वृद्धि के अतिरिक्त देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब पर लाइसेंस फीस तथा प्रति प्रूफ लीटर आबकारी शुल्क की दरें बढ़ने के कारण वृद्धि हुई।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: प्रवेश कर से सम्बंधित प्राप्तियों में कमी तथा निर्माण कार्यों की संविदाएं पूर्ण हो जाने के कारण कमी आई।

माल तथा यात्री कर: कर की दरें संशोधित न करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर से आने वाले वाणिज्यिक वाहनों तथा कंपोजिट फीस/ अखिल भारतीय परमिट फीस को यात्री तथा माल कर की बजाय राष्ट्रीय परमिट नीति के अंतर्गत जमा करने के कारण कमी आई।

वाहन कर: हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा विशेष सड़क कर की अदायगी न करने के कारण कमी आई थी।

पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क: पड़ोसी राज्यों में खनन प्रचालनों पर प्रतिबंध होने के कारण राज्य में रेत व बजरी न पहुंचने, विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के कारण सीमेंट तथा अन्य निर्माण सामग्री का आयात न होने तथा जम्मू तथा कश्मीर राज्य को पर्यटकों का अपवर्तन होने के कारण कमी आई थी।

पुलिस: जिला प्राधिकारियों द्वारा शिमला शहर की प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने हेतु कम परमिट / सशस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कम लाइसेंस जारी करने के कारण कमी आई।

लोक निर्माण कार्य: राजस्व शीर्ष के अंतर्गत विभागीय प्रभारों की अधिक वसूली करने के कारण वृद्धि हुई।

बागवानी सहित कृषि-कर्म: फलों/फलों के पौधों के कम उत्पादन, कीटनाशकों/बागवानी उपकरणों की कम बिक्री तथा *मण्डी मध्यस्थ योजना* के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कमी आई थी।

वानिकी तथा वन्य प्राणी: भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत कम प्राप्तियां होने के अतिरिक्त वनों से लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों की हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम तथा अन्य उपभोक्ताओं/संगठनों द्वारा कम अदायगी करने के कारण कमी आई थी।

पशुपालन: वृद्धि का कारण पशुधन मालिकों से प्रभारित की जाने वाली निर्धारित फीस में वृद्धि विभागीय भेड़ प्रजनन फार्मों से भेड़ों/एक-वर्षीय भेड़ों की अधिक बिक्री, अचल/चल सम्पत्ति की बिक्री तथा की गई अधिक अदायगियों की वसूली करना था।

मत्स्य पालन: वृद्धि का कारण आवासीय भवनों के किरायों की अधिक वसूली, अधिक लाइसेंस जारी करना, गोबिन्द सागर तथा पोंग डैमों में अधिक मत्स्य उत्पादन तथा उच्च दरों पर मत्स्य बिक्री करना था।

जलापूर्ति तथा स्वच्छता: वृद्धि का कारण सरकार की नीति के अनुसार पानी की दरों में 10 *प्रतिशत* वृद्धि करना था। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों ने अपने बिलों की अदायगी चालू वर्ष की बजाय तदनंतर वर्ष में की।

1.3 मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

वर्ष 2011-12 से सम्बंधित सकल-संग्रहण के प्रति संग्रहण पर व्यय की सम्बंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता सहित, वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण के प्रति ऐसे व्यय की प्रतिशतता को **तालिका 1.5** में दिया गया है:

तालिका 1.5

मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

(₹ करोड़)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2011-12 से सम्बंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	2010-11	132.69	1.04	0.78	1.89
		2011-12	155.09	1.14	0.74	
		2012-13	172.61	1.22	0.71	
2.	राज्य आबकारी	2010-11	561.53	5.84	1.04	2.98
		2011-12	707.36	2.58	0.36	
		2012-13	809.87	2.78	0.34	
3.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2010-11	2,101.10	21.85	1.04	0.83
		2011-12	2,476.78	5.16	0.21	
		2012-13	2,728.22	3.40	0.21	
4.	वाहन माल व यात्री कर	2010-11	256.48	0.97	0.38	2.96
		2011-12	270.39	26.83	9.92	
		2012-13	297.52	3.21	1.08	

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि वर्ष 2011-12 में वाहन, माल व यात्री कर के अतिरिक्त सभी राजस्व शीर्षों के अंतर्गत संग्रहण पर लागत अखिल भारतीय औसत से कम थी।

1.4 पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया तथा सकल बकाया से सम्बंधित राजस्व बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व से सम्बंधित कुछ प्रधान शीर्षों का बकाया राजस्व ₹749.28 करोड़ था, जिसमें से ₹236.12 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका 1.6** में वर्णित है:

तालिका 1.6

पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया पड़े राजस्व बकाया

(₹ करोड़)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013, को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2013 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग का उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	**235.33**	**124.74**	बकाया 1968-69 से संचित पड़े हैं। **₹56.26** करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थी, **₹9.92** करोड़ का प्रस्तावित अपलेखन अभी प्रतीक्षित है, **₹7.15** करोड़ सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने है, **₹7.67** करोड़ की राशि की वसूलियों को उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था तथा **₹154.33** करोड़ व्यापारियों से वसूल किए जाने थे।
2.	वानिकी एवं वन्य-प्राणी	**55.94**	लागू नहीं	संविदाकारों से सम्बंधित अधिकांश मामलें (**₹3.52** करोड़) बकाया एवं भू-राजस्व के अंतर्गत वसूली हेतु समाहर्ताओं को भेज दिए गए थे तथा शेष विधि न्यायलयों में अन्वीक्षाधीन थे। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग निगम लि0 तथा अन्य सरकारी विभागों से क्रमशः **₹52.15** करोड़ तथा **₹0.27** करोड़ की बकाया राशियों की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
3.	वाहन कर	**211.65**	**90.37**	विभाग से उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
4.	माल व यात्री कर	**7.92**	**7.13**	**₹3.19** करोड़ की मांगें भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित की गई, **₹1.82** करोड़ का अपलेखन प्रस्तावित किया गया, **₹1.01** करोड़ के शेष बकाया सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने हैं, **₹4,400** उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए तथा **₹1.90** करोड़ विभिन्न वाहनों के मालिकों से वसूल किए जाने थे।
5.	पुलिस	**22.40**	**3.88**	वसूली के मामले विभागों के पास लंबित पड़े थे।
6.	जलापूर्ति, स्वच्छता व लघु सिंचाई	**178.27**	लागू नहीं	जलापूर्ति हेतु **₹178.27** करोड़ के कुल बकायों में से **₹161.60** करोड़ नगर निगमों/ नगरपालिकाओं/ आधिसूचित क्षेत्र समितियों, **₹4.93** करोड़ तथा **₹0.51** करोड़ क्रमशः गैर-सरकारी निकायों व सरकारी विभागों, **₹11.17** करोड़ लघु सिंचाई तथा **₹0.05** करोड़ आवास से सम्बंधित थे।
7.	राज्य आबकारी	**12.65**	**5.56**	**₹5.99** करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थी, **₹93,545** उच्च न्यायालय/अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए, **₹0.02** करोड़ अपलेखन हेतु प्रस्तावित थे

				तथा ₹6.63 करोड़ का बकाया बोली देने वालों/ लाइसेंसधारियों से वसूल किया जाना था।
8.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	19.84	2.78	₹6.12 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹39,100 उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए, ₹2.02 करोड़ अपलेखन हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹11.70 करोड़ विभिन्न होटल मालिकों से वसूल किए जाने थे।
9.	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.26	0.13	वसूली के मामले विभागीय प्राधिकारियों के पास लंबित पड़े थे।
10.	उद्योग	3.97	0.78	वसूली के मामले विभागीय प्राधिकारियों के पास लंबित पड़े थे।
11.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.74	0.50	ड्रिलिंग प्रभारों आदि की वसूली के संदर्भ में खनन अधिकारियों और आहरण तथा संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) भू-वैज्ञानिक स्कंध से बकाया वसूल किए जाने थे।
12.	लोक निर्माण कार्य	0.31	0.25	बकाया 1954-55 वर्षों तथा इससे आगे से संचित पड़े हुए हैं। ₹0.31 करोड़ के कुल बकायों में से ₹0.07 करोड़ न्यायालयों के पास लंबित थे तथा शेष ₹0.24 करोड़ विभाग के पास लंबित थे।
योग		749.28	236.12	

तालिका से देख सकते हैं कि ₹236.12 करोड़ की वसूली पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित थी तथा इनकी वसूली हेतु कोई भरसक प्रयास नहीं किए जा रहे थे। ₹652.66 करोड़ के बकाया विभागीय प्राधिकारियों के पास लंबित थे। सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा अपलेखन (₹9.78 करोड़) हेतु भेजे गए मामलों पर भी कार्रवाई नही की जा रही थी।

1.5 बकाया निर्धारण

बिक्री-कर, मोटर स्पिरिट कर, विलास-कर तथा निर्माण कार्य संविदाओं पर करों के संदर्भ में बिक्री कर विभाग द्वारा, प्रस्तुत वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अन्त में अन्तिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 1.7** में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.7
बकाया निर्धारण

राजस्व शीर्ष	अथ शेष	2012-13 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2012-13 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कालम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	59,701 1,56,062	65,883 58,215	1,25,584 2,14,277	7,982 81,849	1,17,602 1,32,428	26
विलास कर	1,126	2150	3276	404	2872	12
निर्माण कार्य संविदाओं पर कर	1,411	1107	2518	605	1913	24
मोटर स्पिरिट कर	479	2	481	481	0	100

तालिका से यह देखा जाएगा कि मोटर स्पिरिट कर के अतिरिक्त इन राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत निर्धारण मामलों की निपटान प्रतिशतता बहुत कम थी जोकि 12 तथा 26 *प्रतिशत* के मध्य रही, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

1.6 कर अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अन्तिम रूप दिए गये मामले तथा अतिरिक्त कर के संदर्भ में उठाई गई मांगों के मामलों का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, **तालिका 1.8** मे दिया गया है:

तालिका 1.8

(₹ करोड़)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 तक लम्बित मामले	2012-13 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	जिन मामलों में निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2013 तक अन्तिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की गई राशि	
1.	राज्य आबकारी	3	1,185	1,188	1,143	1.71	45
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	113	6,551	6,664	6,562	41.47	102
3.	यात्री एवं माल कर	293	4,753	5,046	4,860	2.49	186
4.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	27	1,928	1,955	1,949	2.57	6
योग		**436**	**14,417**	**14,853**	**14,514**	**48.24**	**339**

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि वर्ष के अन्त में लम्बित पड़े मामलों की संख्या में वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित पड़े मामलों की संख्या की तुलना में थोड़ी कमी आई है।

1.7 प्रत्यर्पण मामलों का लम्बन

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण सम्बंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पण तथा वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर लम्बित मामलों का विवरण **तालिका 1.9** में दिया गया है:

तालिका 1.9

(₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	53	11.68	02	0.04
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	33	25.61	52	0.47
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	22	8.60	48	0.38
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	64	28.69	06	0.13

यदि आदेश की तिथि से 90 दिनों के भीतर व्यापारी को आधिक्य राशि प्रत्यर्पित नही की जाती है तो हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर तथा हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियमों में एक *प्रतिशत* प्रतिमाह तथा उसके पश्चात 1.5 *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से प्रत्यर्पण किए जाने तक ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

बिक्री कर/ वैट के प्रत्यर्पण मामलों के निपटान की प्रगति प्राप्त दावों की तुलना में बहुत धीमी थी।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

1.8.1 सरकार के हितों की रक्षा करने हेतु उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने में विभागाध्यक्षों की असफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेनदेनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा अनुसरण किया जाता है जो निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई अनियमिताओं, जिनका मौके पर समायोजन नहीं हो

पाता, से समाविष्ट होते हैं। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों तथा इसकी एक प्रति अगले उच्चत्तर प्राधिकारी को भेजी जाती है, ताकि अभ्युक्तियों पर तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कार्यालयाध्यक्षों/ सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना करना तथा चूकों को दूर करना तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी करने की तिथि से एक मास के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से की गई अनुपालना से अवगत करवाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं।

दिसम्बर 2012 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में जून 2013 के अन्त तक 3,269 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित ₹1,476.50 करोड़ से अन्तर्ग्रस्त 8,526 परिच्छेद बकाया पड़े हुए थे, जिन्हें विगत दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों सहित **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10

	जून 2011	जून 2012	जून 2013
निपटान के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,572	3,716	**3,269**
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	8,608	9,763	**8,526**
अन्तर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़)	586.21	995.12	**1,476.50**

30 जून 2013 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा अन्तर्ग्रस्त राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11

(₹ करोड़)

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त मौद्रिक मूल्य
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	122	771	204.62
		यात्री व माल कर	207	524	214.29
		पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	286	359	14.94
		मनोरंजन तथा विलास कर आदि	110	224	1.01
2.	आबकारी	राज्य आबकारी	64	184	17.76
3.	राजस्व	भू-राजस्व	237	413	0.86
4.	परिवहन	मोटर वाहन कर	692	2,361	77.64
5.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	स्टाप एवं पंजीकरण फीस	581	1,154	46.44
6.	खनन तथा भू-विज्ञान	अलौह खनन व धातुकर्म उद्योग	44	119	7.82
7.	वन तथा पर्यावरण	वानिकी एवं वन्य प्राणी	581	1,688	541.88
8.	जल स्रोत (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)	जल दरें	93	256	208.66
9.	लोक निर्माण (भवन तथा सड़क)	जमा निर्माण कार्य	136	273	83.63
10.	कृषि कर्म	बागवानी तथा कृषि	82	135	3.50
11.	सहकारिता	लेखापरीक्षा फीस तथा अन्य प्राप्तियां	34	65	53.45
योग			**3,269**	**8,526**	**1,476.50**

2012-13 के दौरान जारी किये गए 164 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को

कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक मास के भीतर प्राप्त होने अपेक्षित थे। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह अधिक लंबन इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित दोषों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने हेतु कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई।

सरकार को लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के शीघ्र तथा उचित उत्तरों हेतु प्रभावशाली पद्धति अपनानें पर विचार करना चाहिए।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों में परिच्छेदों के अनुश्रवण तथा निपटान की प्रगति में तीव्रता लाने के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। वर्ष 2012-13 के दौरान की गई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए पैरों का विवरण **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12

(₹ करोड़)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	समायोजित किए गए पैरों की संख्या	राशि
1.	राजस्व विभाग	2	52	00.14
2.	राज्य आबकारी विभाग	3	157	15.10
3.	परिवहन विभाग	2	43	00.42
योग		**7**	**252**	**15.66**

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने के बावजूद परिवहन विभाग तथा राजस्व विभाग से सम्बंधित पैरों के निपटान की प्रगति बड़ी संख्या के निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों के लम्बित होने की तुलना में नगण्य थी।

1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों से सम्बंधित विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को प्रधान महालेखाकार द्वारा सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेजे जाते हैं कि वे लेखापरीक्षा आपत्तियों की ओर ध्यान दें तथा छ: सप्ताह के भीतर इनके उत्तर प्रेषित करें। विभागों/ सरकार से उत्तर प्राप्त न होने से सम्बंधित तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अंत में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

फरवरी तथा अगस्त 2013 के मध्य एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित बतीस प्रारूप परिच्छेदों को सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को उनके नाम से भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों ने अनुस्मारक जारी (सितम्बर 2013) करने के बावजूद निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 19 प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर नहीं भेजे तथा विभागों की प्रतिक्रिया के बिना उन्हें इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति की आन्तरिक कार्यप्रणाली में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां असाधारण रूप से विलंबित की जा रही थीं। 31 मार्च 2008, 2009, 2010 तथा 2011 को समाप्त वर्षों के हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व सैक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 159 परिच्छेदों (निष्पादन लेखा-परीक्षा सहित) को 16 दिसम्बर 2008 तथा 6 अप्रैल 2012 के मध्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सम्बद्ध विभागों से इन परिच्छेदों पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां क्रमश: नौ, छ:, सात तथा 14 मास के औसत विलम्ब से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संदर्भ में दो विभागों (राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग) के तीन परिच्छेदों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नही हुई थी (नवम्बर 2013)।

1.8.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में अनुपालना

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर विभागों/ सरकार ने ₹1,208.06 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की, जिनमें से 31 मार्च 2013 तक ₹113.87 करोड़ वसूल किए गए थे, जैसाकि **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13

(₹ करोड़)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किया गया मौद्रिक मूल्य	की गई वसूली
2007-08	105.05	24.96	6.61
2008-09	182.02	138.42	94.10
2009-10	1,420.98	839.53	8.83
2010-11	141.27	29.52	2.96
2011-12	722.39	175.63	1.07
योग	**2,571.71**	**1,208.06**	**113.87**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वसूल की गई राशि स्वीकृत राशि का केवल 9.43 *प्रतिशत* थी, जबकि सरकार/ विभागों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों का 47 *प्रतिशत* स्वीकार किया है।

सरकार को कम से कम स्वीकार किए गए मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक तन्त्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तन्त्र का विश्लेषण

सरकार/ विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों को निपटाने के लिए अपनाई गई पद्धति का विश्लेषण करने हेतु एक विभाग के पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखा परीक्षाओं पर की गई कार्रवाई के मूल्यांकन को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती परिच्छेद 1.9.1 से 1.9.2.2 तक राजस्व शीर्ष-0039 के अंतर्गत राज्य आबकारी शुल्कों के संदर्भ में आबकारी तथा कराधान के निष्पादन तथा विगत दस वर्षों के दौरान ध्यान में आए मामलों तथा वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक केन्द्रीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों की चर्चा करते हैं।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा 31 मार्च, 2012 को उनकी सारांशित स्थिति को नीचे **तालिका 1.14** में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 1.14

(₹ करोड़)

क्रमांक	वर्ष	अथ शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			तिमाही के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य
1.	2002-03	113	293	1.81	11	71	6.21	39	114	5.93	85	250	2.09
2.	2003-04	85	250	2.09	9	39	2.82	33	155	0.63	61	134	1.46
3.	2004-05	61	134	1.46	9	41	7.67	10	30	1.08	60	145	8.05
4.	2005-06	60	145	8.05	13	48	7.28	12	42	1.41	61	151	13.92
5.	2006-07	61	151	13.92	15	44	1.96	7	25	3.56	69	170	12.32
6.	2007-08	69	170	12.32	14	59	2.23	2	16	0.41	81	213	14.14
7.	2008-09	81	213	14.14	6	71	27.47	2	30	1.35	85	254	40.26
8.	2009-10	85	254	40.26	15	95	6.79	21	72	13.48	79	277	33.58
9.	2010-11	79	277	33.58	9	64	3.48	8	149	2.14	60	192	34.76
10.	2011-12	60	192	34.76	8	55	1.41	9	46	24.04	59	201	12.13

सरकार पुराने परिच्छेदों के समायोजन हेतु विभाग तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय के मध्य तदर्थ समिति की बैठकों की व्यवस्था करती है। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2002-03 के प्रारम्भ में 293 बकाया परिच्छेदों सहित 113 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2011-12 के अन्त तक 201 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या गिर कर 59 को गई। यह इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पर्याप्त पग उठाये गए, जिसके परिणामस्वरूप बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों की संख्या में कमी आई।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों पर विभाग/ सरकार द्वारा दिये गए आश्वासन

स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

इन परिच्छेदों से सम्बन्धित पिछले दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित, विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति **तालिका 1.15** में दर्शायी गई है:

तालिका 1.15

(₹ करोड़)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित किए गए परिच्छेदों की संख्या	परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	मौद्रिक मूल्य सहित स्वीकार किए गए परिच्छेदों की संख्या	स्वीकार किए गए परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31-03-2012 को स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2002-03	1	5.07	1	0.33	0.02	0.02
2003-04	3	1.49	2	0.49	0.006	0.10
2004-05	2	1.26	1	0.31	0.16	0.16
2005-06	3	0.12	3	0.49	0.32	0.41
2006-07	1	0.86	0	0	0	0.31
2007-08	3	1.27	2	1.25	48.07	1.04
2008-09	3	10.65	3	6.29	0.17	0.28
2009-10	4	1.47	2	0.07	0.03	0.78
2010-11	4	0.39	1	0.0	0.0	0.08
2011-12	3	0.22	1	0.07	0.0	विभाग ने अभी तक सटिप्पण उत्तर प्रेषित नहीं किए थे।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों के दौरान यहां तक कि स्वीकार्य मामलों में वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी। स्वीकार्य मामलों में वसूली सम्बन्धित पक्षों से वसूली योग्य बकाया राशि के रूप में की जानी थी। विभाग/ सरकार द्वारा स्वीकार्य मामलों के अनुसरण के लिए कोई तन्त्र नहीं बनाया

गया था। इसके अतिरिक्त स्वीकृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों सहित बकाया मामले आयुक्त आबकारी तथा कराधान विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नही थे। उपयुक्त तन्त्र के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों में वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय –III में स्थिति को विस्तार से बताया गया है।

विभाग को स्वीकृत मामलों में अंतर्ग्रस्त देयों की तुरन्त वसूली का अनुसरण तथा अनुश्रवण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

1.10 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभयुक्तियों की पूर्व प्रवृत्तियों तथा अन्य प्राचलो के अनुसार उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व तथा कर संचालन के नाजुक मामले शामिल होते हैं जैसा कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांख्यिकी विश्लेषण, कर संचालन के कारक, लेखापरीक्षा व्याप्ति तथा विगत पांच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि पर तैयार किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा योग्य 560 इकाइयां थी, जिनमें से 244 इकाइयां योजनागत थी तथा 241 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी, जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 43 *प्रतिशत* है। स्टाफ की भारी कमी के कारण तीन योजनागत इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। विवरण **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त इन प्राप्तियों के कर संचालन की क्षमता की जांच करने के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा को भी सम्मिलित किया गया।

1.11 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियां तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 241 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 780 मामलों में कुल ₹1023.30 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व हानि उदघाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 516 मामलों में ₹779.17 करोड़ से अंतर्ग्रस्त अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिन्हे वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किया गया था। विभागों ने 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की लेखापरीक्षा आपत्तियों से सम्बन्धित 183 मामलों में ₹266.53 करोड़ का संग्रहण किया।

यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकर ने 2012-13 के दौरान ₹ 3,371.30 करोड़ का ऋण उठाया था, जो विभिन्न निगमों सामान्य/जीवन बीमा निगमों, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम आदि से ₹ 3,239.48 करोड़ के आंतरिक ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से ऋणों व अग्रिमों के रूप में ₹ 131.82 करोड़ से अंतर्विष्ट था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूलियां सरकार द्वारा 2012-13 के दौरान उधार लिए गए कुल ऋण का लगभग 30 *प्रतिशत* थी। यदि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूलियों का सरकार/ विभागों द्वारा उद्ग्रहण कर लिया गया होता तो ₹1,023.30 करोड़ की राशि की ऋण देनदारी को कम किया जा सकता था।

1.12 इस प्रतिवेदन की आवृत्ति

इस प्रतिवेदन में ₹781.44 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 30 परिच्छेदों (उपरोक्त सन्दर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान तथा विगत वर्षों के दौरान ध्यान में आई आपत्तियों में से चयनित जिन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नही किया जा सका) सहित *'यात्री तथा माल कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण'* पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा समाविष्ट है।

सरकार/ विभागों ने ₹252.96 करोड़ से अंतर्निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से ₹241.07 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013) इनकी अनुवर्ती अध्यायों-II से VII में चर्चा की गई है।